प्रेस नोट जनपद बदायूं दिनांक 30-11-2023

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के अभियुक्त को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास तथा 1,00,000/- (एक लाख) रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 76/2019 धारा 376(एबी) भादवि, 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट बनाम मुकेश पुत्र नरेश निवासी ग्राम कुतरई थना अलापुर जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार द्वारा की गयी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना अलापुर कां0 सतीश कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30-11-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त दुष्कर्म मे दोषसिद्ध अभियुक्त मुकेश उपरोक्त को अंतर्गत धारा 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व धारा 376 एबी भादवि के आरोप मे दोषी पाते हुए केवल धारा 376 एबी भादवि के आरोप मे आजीवन कारावास की सजा व 1,00,000/- (एक लाख) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । दोषसिद्ध अभि मुकेश द्वारा जेल में पूर्व में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी । अधिरोपित संपूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि का संदाय मुकदमे की पीड़िता को उसके चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति हेतु किया जाएगा।

पैरवी करने वाले पैरोकार थाना अलापुर कां0 सतीश कुमार तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी तथा विवेचक उ0नि0 उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार द्वारा का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं।